...द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भंवर बनाम कैलाश (कीरा)

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111-126 नं0 92 सन 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
4.22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29-4-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
29/4/22	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 24-5-22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
24/5/22	पत्रावली फोलोकेम्प ग्राम पंचायत भगवानपुरा मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन पूर्व मे बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा-प० किया गया। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

पत्रावली कोर्ट.............................को पेश हुई।
अपरानी दिनांक..........................को पेश हो।
राजस्थान – सरकार
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– डॉ पूजा सक्सेना आर.ए.एस

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या – 92/22 प्रा.पत्र

1– श्री भंवर s/o काना गुर्जर निवासी- बैरा तहसील-मांडल [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री कैलाश s/o काना गुर्जर निवासी- बैरा तहसील-माण्डल [वगैरा]
पृष्ठांकित प्रा.पत्रानुसार

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 24.5.22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........बैरा.........पटवार हल्का.........गेगास.........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न. 100,101,102,103,106 107,109,486 कुल किता.........08.........रकबा 2.4746 बीघा हैक्टेयर.........बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25.4.22.........को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.........बैरा पटवार हल्का.........गेगास.........तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 100,101,102,103,106 107 109,486.........कुल किता.........08.........रकबा 2.4746 बीघा हैक्टेयर.........बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 900/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021